



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: 16769 / सामा0प्रशा0 / 2011

दिनांक : 28 / 07 / 2011

सेवा में,

श्री सुधीर सिंह
पुत्र श्री श्रीराम
एफ-3719, राजाजी पुरम्,
लखनऊ।

महोदय,

दिनांक-17/07/2011 को सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इंजीनियरिंग विभाग में एक वर्ष के लिये संविदा पर आपकी नियुक्ति का प्रस्ताव है और इसी आधार पर आपकी नियुक्ति का विस्तरण विभागाध्यक्ष द्वारा आपकी वार्षिक अप्रैजल रिपोर्ट के आधार पर होगा, जो अधिकतम कुल तीन शैक्षिक सत्रों तक अर्थात् (सत्र 2013-2014 तक ही) प्रभावी होगा। वार्षिक अप्रैजल रिपोर्ट संतोषजनक न होने की दशा में आपकी सेवा के विस्तरण पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1. आपको रू० 20000/-- (बीस हजार मात्र) नियत मानदेय प्रति माह देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
2. कार्यभार ग्रहण करते समय रू० 20/-- मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा (सेवा शर्तों आदि के उल्लेख सहित) बाध्यकारी होगा।
3. प्रस्तर-3 में उद्धृत संविदा के आधार पर सेवा विस्तरण/निरन्तरता या भविष्य में किसी पद पर विनियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
4. सन्दर्भित नियुक्ति विभागीय शैक्षणिक कार्य में उदासीनता एवं शिक्षकों हेतु निर्धारित आचार संहिता के फलस्वरूप होने वाली अनुशासनहीनता आदि के कारण सेवार्थे कभी भी समाप्त की जा सकेंगी। इस विषय में कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
5. किसी भी कार्यदिवस पर अनुपस्थित रहने अथवा विभागीय पठन-पाठन कार्य न करने की स्थिति में समानुपातिक दर से माह के नियत मानदेय से कटौती की जायेगी।
6. आप से अपेक्षा है कि दिनांक-18/08/2011 तक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा कर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव स्वयं निष्प्रभावी हो जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संकायाध्यक्ष, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय।
2. प्रभारी/विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन, इंजीनियरिंग विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित प्रवक्ता के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रवक्ताओं से कार्य न लिये जाय जिनकी संस्तुतिया चयन समिति द्वारा नहीं की गयी है।
3. उपकुलसचिव/सहा0 कुलसचिव, प्रशासन।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपतिजी के सूचनार्थ।
5. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं इस आशय से कि बिना संविदा सम्पादन के नियत मानदेय न निर्गत किये जाय।
6. अधीक्षक, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित प्रवक्ता के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रवक्ताओं से कार्य न लिये जाने के निर्देश प्रभारी/विभागाध्यक्ष को दिये जा चुके हैं का अनुश्रवण अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
7. व्यक्तिगत प्रत्रावली।

V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

सहा0 कुलसचिव